



राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जन- जन के साथ, विकास और अंत्योदय का मार्ग

ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों

का

शुभारम्भ

17 सितम्बर, 2025

शिविरों में होने वाले प्रमुख कार्य

♦ ग्रामीण सेवा शिविर ♦

- रास्ते खोलना, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामान्तकरण।
- लम्बित नोटिसों की तामीली एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना।
- मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र एवं स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व पट्टे बनाना एवं वितरण करना, किसान गिरदावरी एप द्वारा गिरदावरी करवाना।
- दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु 10 हजार और गांवों का बीपीएल सर्वे।
- पशुओं की जांच, इलाज एवं टीकाकरण।
- विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य।
- वृक्षारोपण, नमो वन को विकसित करना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्य।
- क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाडी, छात्रावासों एवं सड़कों के सुधार के कार्य।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्य।
- पीएमजेवाई कार्ड बनाना एवं वितरित करना एवं बीज मिनी किट वितरण।
- PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत गतिविधियाँ।
- NFSA अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, सदस्यों की ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना एवं UDID कार्ड बनाने से सम्बंधित कार्य।
- महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना।
- जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।

♦ शहरी सेवा शिविर ♦

- सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पॉटों की समाप्ति।
- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत बंद पड़ी लाइटों को चालू करना।
- राईजिंग राजस्थान के प्राप्त निवेश प्रस्तावों हेतु भूमि चिन्हीकरण, स्वीकृतियाँ।
- जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एन. ओ. सी., ट्रेड लाईसेंस, साईनेज लाईसेंस, सीवर कनेक्शन, ओ. एफ. सी-मोबाइल टावर एन.ओ.सी./ई.डब्ल्यू.एस.प्रमाण पत्र आदि जारी करना।
- नमो पार्क को विकसित करना एवं सड़क मरम्मत/पेच वर्क के कार्य करना।
- आवारा पशुओं को पकड़ना।
- पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर, विकसित करना।
- नालियों की मरम्मत, फेरोकवर व मैन हॉल्स की मरम्मत, सीवर लाईन के लीकेज की मरम्मत।
- पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना एवं लम्बित प्रकरणों को ऋण वितरण करना।
- कृषि भूमि के पर बसी आबादियों में लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र, नामान्तरण एवं नाम हस्तातन्तरण।
- निकायों की योजनाओं में विक्रय आवंटित भूमि/भूखण्ड के लीज होल्ड/फ्री होल्ड पट्टे जारी करना।
- लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे (आवंटन नीति, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट के पट्टे, नियम 1974 के नियम 18 से 19 में आवंटित भूमि को छोड़कर)।
- अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि।

कृषि विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए राजस्थान सरकार क्या योजना रखती है, विखंडन या उन्नयन?



वीर बहादुर सिंह

एक कृषि विश्वविद्यालय को विखंडित कर पांच बना देने से शिक्षा और अनुसन्धान में गुणवत्ता नहीं बढ़ती और न ही संस्थानों में पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के आकर्षक भवन और उनमे खरीदकर रखी अनेक महंगी पुस्तकें, रिसर्च जर्नल्स और प्रयोगशाला में सजे महंगे उपकरण किसी भी प्रकार से शिक्षा और अनुसन्धान की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते यह सर्वविदित है।

विज्ञान में कहावत है कि यदि किसी स्थूल पदार्थ को पहले छोटे-छोटे और फिर उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कणों तक विखंडित किया जाय तो एक अदृश्य अणु प्राप्त होता है जो स्थूल अथवा भौतिक पदार्थ से सर्वथा भिन्न तो होता ही है अपितु स्थूल पदार्थ से अनेक भौतिक और रासायनिक गुणों में भी भिन्न होता है। ऐसा ही कुछ प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सरकार ने विगत वर्षों में किया है। मेरी अभी तक समझ नहीं आया कि राजस्थान प्रदेश की जो भी सरकारें आजादी के बाद बनीं उन्हें सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कृषि विश्व विद्यालयों के औचित्य के बारे में कभी ठीक से बोध ही नहीं हो पाया। अब तो कई दशक बीत गए लेकिन एक उचित बोध किसी के मस्तिष्क में अभी तक नहीं पनप सका है।

मेरा मानना है यह प्रदेश भेड़, ऊँट, बाजरा और मक्की तक ही अपनी सोच रखता था उसके आगे नहीं। अतः कृषि के बारे में एक बृहत सोच की परिकल्पना करना युक्तसंगत नहीं रहा। फिर भारतीय परिवेश में ऐसे अनेक समुदाय हैं जो पीढ़ीओं पुरानी अपनी परम्पराओं से इतने गहरे आबद्ध हैं कि उन्हें उस परिवेश में ही परम संतुष्टि मिलती है, शायद प्रदेश के लोगों की भी ऐसी ही मनोदशा है। उससे परे वे निकलना ही नहीं चाहते। विकास से भी वे आबद्ध नहीं होना चाहते लेकिन उसका भोग करने को आतुर रहते हैं।

वर्ष 1९6६-६7 में हरित क्रांति का सूत्र पात हुआ था जिसके कारण देश में आज खाद्यान उत्पादन में बड़े अत्यभिर्भर होकर सरफल में है। पहले अमेरिका से पीएल 480 योजना के अंतर्गत लाल रंग का गेहूँ हम भारतीयों को सरकारालय के लिए राशन की दुकानों से उपलब्ध करवाती थी। अनाज लेने के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर अनाज ले पाते थे। आज स्थिति बिलकुल उलट चुकी है यह स्थिति कैसे आई पिछली कुछ सरकारों ने इस पर मनन किया? अनाज उत्पादन में तो देश आत्मनिर्भर भी ही अन्य उत्पादों पर शक्कर, दूध, अंडे, मांस-मछली, विभिन्न तेल, कपास, आदि में भी देश काफी संतोषप्रद उत्पादन कर रहा है। यह सब और इससे सम्बंधित उत्पाद कृषि शिक्षा व् सतत अनुसन्धान और उत्तम बीजों के विकसित करने से संभव

बोराज गांव में फिर पैंथर का आतंक, ग्रामीणों में दहशत

अजमेर, (कासं)। वरुण सागर स्थित बोराज गांव में एक बार फिर पैंथर का आतंक नजर आया। रविवार देर रात पैंथर ने बाड़े में घुसकर गौंश की अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों के शोर मचाये पर पैंथर पास के पहाड़ों की ओर भाग गया, लेकिन गांव में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने सोमवार को वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है।

ग्रामीण गामा रावत ने बताया रविवार देर रात बोराज गांव में लेपेड़ एक घर के पीछे बाड़े में घुस गया था। लेपेड़ ने वहां पर बकरी और गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। हमले में गाय के बछड़े दम तोड़ दिया। जानवरों की आवाज सुनकर ग्रामीण नींद से जाग गये और उन्होंने देखा कि पैंथर गाय के बछड़े को खा रहा था। ग्रामीणों की आवाज सुनकर

- पैंथर ने बाड़े में घुस कर गौंश को शिकार बनाया, ग्रामीणों के शोर मचाये पर पहाड़ों की ओर भाग गया**

- ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की**

पैंथर वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि गाय ने एक माँह पहले ही बछड़े को खसका है। पैंथर के हमले में बछड़े की मौत हो गयी। सुबह तक गाय बछड़े के पास खड़ी रही और उसे छोड़ने को

तैयार नहीं थी। बछड़े के शरीर पर पैंथर के पंजों के निशान नजर आ रहे हैं।

नवयुवक मंडल अध्यक्ष गामा रावत ने बताया कि पैंथर की हलचल गांव के आसपास लंबे समय से बनी हुई है। रात दिनों भी चामुंडा माता मंदिर के पास ग्रामीण लाकून सिंह पुर मोहनसिंह के जानवरों को पैंथर ने अपना शिकार बनाया था। उन्होंने वन विभाग से पिंजरा लगाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र पैंथर का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। रात के समय वह अक्सर गांव में घुस जाता है। इससे गांव के पशुपालक और किसान दहशत में हैं। पैंथर मूवमेंट की वन विभाग को सूचना दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते वन विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाया तो बड़े हादसे की आशंका बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री के सार्वज्ञानिक कथन से प्रेरित होकर और कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुरोध पर ही मैंने यह लेख लिखने का मानस बनाया। मुझे अब कहने में बिलकुल भी संकोच नहीं कि प्रदेश की कृषि शिक्षा की गुणवत्ता का बेंटाधार और अवनति के लिए प्रदेश की पूर्व की

गौरललब है कि सबसे बड़ी बात यह है बौली नगर के मुख्य सड़क मार्ग निवाड़, बौली व लालसोट मार्ग पर पुलिस थाने के सामने से अवैध बजरी के वाहन निकालते रहते हैं, उनको नगरवासी तो देखते हैं, लेकिन पुलिस की नजर ही नहीं पड़ती, कुछ बजरी माफिया तो जब यह अवैध बजरी से भरे ओवरलोड वाहन निकलते हैं तो मेन रोड लाइट को ही बंद कर देते हैं। वहीं रात्रि के समय में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर

पिलर नंबर 258.5 पर बजरी माफियाओं ने फिर से अपना अखाड़ा जमा लिया है। कुछ दिनों पूर्व ही यहां पर एक सड़क दुर्घटना में पूरा परिवार के मुठ में समा गया था, फिर भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बौली पुलिस ने 1४ व 15 सितंबर को कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर ट्राली जक की है।

पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया कि उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, हैड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह व हैड कांस्टेबल सुनील दत्त के नेतृत्व में गठित अलग-अलग तीन टीमों ने रामदेव निराहा के पास खिरनी व ग्राम बहनौली, पीपलवाड़ाव चांदा की झोपड़ियां से दरिश् देकर अवैध बजरी खनन व परिवहन करते तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया है। चावल व मलिक पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए।

विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

सलाम, जगदीप छोकर साहब

दिनांक 12 सितंबर 2025 को प्रोफेसर जगदीप छोकर 81 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गए। पाठकों में से संभवतया कई इस नाम से अपरिचित होंगे और यह सोच रहे होंगे कि मैं इन पर संपादकीय स्तंभ क्यों लिख रहा हूं?

इसलिए, पहले उनके जीवन के बारे में जानकारी देना उपयुक्त होगा। जगदीप छोकर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और भारतीय रेल में कुछ समय तक नौकरी की। इन्होंने इसके बाद व्यवहार संगठन विषय में अमेरिका से एम बी ए और पीएचडी की। इसके बाद वे शैक्षिक जगत में आ गए और 1985 से 2006 तक आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे। इनके चयन के पीछे की कहानी है कि आई आई एम, अहमदाबाद के तत्कालीन निदेशक आईजी पटेल, ने उन्हें संदेश भेजा कि वे साक्षात्कार के लिए आए। उन्होंने उत्तर भेजा कि उन्हें उसी हॉटल में उहराया जाए जिसमें पटेल उहरे हुए हैं एवं उसी श्रेणी का विमान यात्रा का क्रियाया दिया जाए जिसमें पटेल यात्रा करते हैं। छोकर का आत्मविश्वास और स्वाभिमान देखकर उन्हें बिना साक्षात्कार के ही आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। सन् 2005 में उन्हें आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक पद का प्रस्ताव दिया गया, किंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वे कुछ समय तक आई आई एम अहमदाबाद के कार्यवाहक निदेशक अवश्य रहे।

अहमदाबाद में काम करते हुए छोकर और उनके साथियों ने महसूस किया कि राजनीति में पारदर्शिता का नितांत अभाव है तथा मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इस बारे में किसी की जवाबदेही भी नहीं थी।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने 1999 में अपने 10 अन्य साथियों के साथ एक संगठन ए डी आर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की स्थापना की। इस संस्था ने जगदीप छोकर के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गुजरात चुनाव में सभी उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई। उस समय, उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता एवं उनकी अपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी किसी को प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए, मतदाताओं के लिए अपने क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवारों का चयन करना कठिन होता था।

इसके लिए छोकर ने ए डी आर के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कानूनी जानकारी में दक्षता प्राप्त करने के लिए उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से रीटायरमेंट से पहले कानून की पढाई भी की और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वे सर्वोच्च न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करने में सफल रहे कि उम्मीदवारों के सम्बन्ध में कई आवश्यक जानकारीयां नामांकन दाखिल करते समय मांगी जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सन् 2०04 के चुनाव से निर्वाचन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नामांकन प्रस्तुत करते समय संबंधित उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र के साथ में अपनी शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति एवं उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। चुनाव में पारदर्शिता एवं शुचितता लाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह सब केवल एक व्यक्ति के अनवरत संघर्ष और प्रयास का ही फल था, और उस व्यक्ति का नाम था जगदीप छोकर।

आज प्रत्येक उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, परिवार की संपत्ति और उसके विरुद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। छोकर ने ए डी आर के माध्यम से उम्मीदवारों

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा । उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिए। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

सारी आवश्यक सूचना प्रदान करने का काम इस व्यक्ति ने किया।

इन्होंने प्रत्येक राजनीतिक दल के लेखों का भी परीक्षण किया और जनता के सामने लाए कि किस दल को किन्ना पैसा मिला और उन्होंने उसका किस प्रकार से उपयोग किया? इलेक्टोरल बॉड योजना के संबंध में भी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में छोकर में ही प्रस्तुत की जिसे अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक मानकर निरस्त किया गया।

हाल ही जो याचिका बिहार में एसआई आर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, उसमें भी पहले याचिका कर्ता जगदीश छोकर थे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि जब किसी मतदाता या राजनीतिक दल ने कोई विरोध नहीं किया है तो, ए डी आर जैसी संस्था दिल्ली में बैठकर ‘डेटा माईनिंग’ कर रही है, जो सही नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति को लगन ही थी कि जो आंकड़े चुनाव आयोग से ही उपलब्ध होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार से विश्लेषण करके उन्हें इस रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया कि वह समझ सके और तय कर सके कि कौन सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व ठीक तरह से कर पाएगा ?

इन्होंने आई आई एम अहमदाबाद से सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार यह काम अपने स्वयं के पैसे से किया, किसी काम के लिए कोई पैसा किसी से नहीं लिया। लोकतंत्र और राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए अनवरत काम करने वाला ऐसा व्यक्ति आज के युग में शायद ही कोई मिले। जगदीप छोकर की विशेषता यह भी थी उन्होंने अपने आप को कभी आगे नहीं रखा बल्कि अपने द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से ही वे जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहे। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि इस प्रकार के अप्राधिक पृष्ठ भूमि के व्यक्ति कैसे चुनाव में जीत जाते हैं तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे लोगों की पसंद नहीं होते। उम्मीदवार, राजनीतिक दल तय करते हैं न कि जनता।

चुनाव आयोग ने जब कोई जानकारी लोगों तक पहुंचाने में आनाकानी की तो उन्होंने न्यायपालिका का सहारा लिया।

जगदीप छोकर बहु आयामी के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने पक्षी विज्ञान में डिप्लोमा भी किया। वे अपनी बात बड़ी बेबाकी और स्पष्टता के साथ कहते थे। विभिन्न टीवी साक्षात्कारों में उन्होंने अपनी बात को सदैव पूरे आंकड़ों के विश्लेषण के साथ रखा। आज के युग में जहां सभी व्यक्ति केवल अपने ही बारे में चिंतित रहते हैं, वहां जगदीप छोकर ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने रीटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी और जवाबदेही, सुनिश्चित करने में खपा दिया।

जगदीप छोकर के निधन से हुआ रिक्त स्थान लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। उनकी कमी उन सभी लोगों को अखरेगी जो चुनाव व्यवस्था को शुद्ध और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। जब भी चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात होगी तो जगदीप छोकर का जिक्र सबसे पहले आएगा।

उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कई छोकर चाहिए। दूसरा जगदीश छोकर शायद शीघ्र हमें न मिले। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनके द्वारा प्रारंभ की गई मुहिम को अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि राजनीति और चुनाव में अधिक शुचिता और ईमानदारी आ सके।

सलाम, छोकर साहब!

—अतिथि सम्पादक, राजन्नेत्र भागावत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राशिफल

मंगलवार 16 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत २082, आर्द्रा नक्षत्र प्रातः ६:46 तक, वारियान योग रात्रि 12:34 तक, वणिज करण दिन 12:57 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:29 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज यमघट योग सूर्योदय से प्रातः ६:46 तक है। कुमार योग प्रातः ६:46 से आरम्भ होगा। आज भद्रा दिन 12:57 से रात्रि 12:23 तक है। आज आश्विन संक्रांति, सूर्य कन्या में रात्रि 1:47 पर प्रवेश करेगा। आज दशमी का श्राद्ध है। **श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर ९:19 से 1०:50 तक, लाभ-अमृत 1०:50 से 1:53 तक, शुभ ३:25 से 4:3६ तक। **राहूकाल:** ३:०0 से 4:30 तक। सूर्योदय ६:1६, सूर्यास्त 6:27

मेघ परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

तुला नवीन कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृष आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। स्वाभावित धन प्राप्त हो सकेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

वृश्चिक चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तित्व खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मिथुन व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरियां/पेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों मिल सकती हैं। आज मानसिक तनाव नहीं रहेगा। मन:स्थिति में सुधार होगा।

धनु व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क व्यक्तित्व परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। मन में असंतोष और भय बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मकर विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए/दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

कुंभ व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कन्या व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मीन घर-परिवार में अतिथियों का आम्रमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुखीकरण बढ़ेगी। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वक्फ अमैंडमेंट एक्ट के तीन विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेष अधिनियम के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की तीन प्रमुख धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एंजी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं पर संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन पर निर्णय आने तक उन्हें स्थगित रखा जाएगा।

अधिनियम में जिलाधिकारी को दिए गए अत्यधिक अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा:

“कलेक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे सत्ता के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ पावर्स) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा कोई निर्णय नहीं होता, तब तक किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, कलेक्टर को दिए गए ऐसे अधिकारों वाली धारा स्थगित की जाती है।”

नए कानून के अनुसार, जिलाधिकारी को वक्फ संपत्ति के

- **चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की बेंच** ने जिन तीन प्रावधानों पर रोक लगाई है, उनमें पहला कलैक्टर को दिए गए “अत्यधिक” अधिकारों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा, कलैक्टर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह “सेपरेशन ऑफ पावर्स” के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक इस प्रावधान पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस धारा को स्थगित किया जाता है।
- **दूसरा प्रावधान वक्फ बोर्ड तथा केन्द्रीय वक्फ काउन्सिल में गैर मुस्लिम सदस्यों से संबंधित था**, कोर्ट ने इसे भी स्थगित कर दिया है।
- **सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी**, जिसके तहत 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है।

स्वामित्व से जुड़े विवादों में अंतिम निर्णायक बना दिया गया था। अधिनियम में कहा गया था: “यदि जिलाधिकारी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि संपत्ति (पूरी या आंशिक रूप से) विवादित है या सरकारी संपत्ति है, तो उस हिस्से को वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा न हो जाए।”

इस प्रावधान का मुस्लिम संगठनों ने विरोध करते हुए कहा था कि इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध दावों की बाढ़ आ जाएगी।

पीठ ने यह भी कहा कि किसी वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-

मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी कहा कि कानून में जो प्रावधान था कि “कोई व्यक्ति जिसने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन किया हो, वही वक्फ घोषित कर सकता है,” उसे भी स्थगित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “ऐसे किसी तंत्र के बिना यह प्रावधान मनमानी शक्ति के प्रयोग का कारण बन सकता है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका रुख हमेशा यह मानकर चलता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुकूल होता है, और किसी अधिनियम में हस्तक्षेप

“बहुत ही दुर्लभ मामलों में” किया जाना चाहिए।

1995 के वक्फ कानून में संशोधन, जिसे अप्रैल में संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, के बाद देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुए। मुस्लिम संगठनों ने इसे संविधान-विरोधी बताते हुए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने

साजिश करार दिया था। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कई वक्फ संपत्तियां भूमि विवादों और अतिक्रमण में फंसी हैं, और नया कानून इन्हें सुलझाने के लिए है।

वक्फ संशोधन अधिनियम को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले का हाई कोर्ट ने केस बंद किया

जयपुर, 15 सितंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी प्रकरण में, एसीबी

- **अदालत ने कहा एसीबी ने अपराध को प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है।**

की ओर से पेश एफआर के आधार पर केस को बंद कर दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश भरत मालानी व अशोक सिंह की अपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एसीबी ने स्वयं ही प्रकरण में अपराध बनना प्रमाणित नहीं मानते हुए एफआर पेश की है। ऐसे में एफआईआर को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पांच साल पहले पेश याचिका में एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

88 वर्षीय महिला की पेंशन क्यों रोकी?

जयपुर, 15 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 88 वर्षीय महिला को अतिरिक्त राशि देने को आधार बनाकर उसकी फैमिली पेंशन रोकने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी और एसबीआई के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकला बाबेल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाई कोर्ट ने पेंशन निदेशक, कोषाधिकारी व एसबीआई के शाखा प्रबंधक से जवाब मांगा।**

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति कार्मिक विभाग से सितंबर, 1994 में सहायक सचिव पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उनकी पेंशन आरंभ हो गई। वहीं अगस्त, 2008 में पति का निधन होने पर विभाग ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन देना शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया कि 26 दिसंबर, 2024 को कोषागार अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पत्र लिखकर जानकारी दी कि उसे 8.76 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान हो गया है और संबंधित बैंक को कोषागार के पक्ष में इस राशि का डीडी जमा कराने को कहा गया है।

याचिका में कहा गया कि इस पत्र के आधार पर बैंक ने गत जनवरी माह से उसकी पेंशन का भुगतान रोक लिया। याचिका में कहा गया कि वह 88 साल की महिला है और पूरी तरह इस पेंशन पर आश्रित है। इसके अभाव में बीते करीब नौ माह से उसका जीवन यापन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कोई भी भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता था’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को मजबूर किया था, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने दावा किया है कि एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किसी भी भारतीय खिलाड़ी की दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के दबाव में खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ा।

रविवार को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने केवल खेल पर ध्यान केन्द्रित रखा। खेल के दौरान बल्ले और गेंद के बीच की प्रतिस्पर्धा को छोड़कर दोनों टीमों के बीच कोई मेलजोल नहीं हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना भारतीय टीम का पूर्व नियोजित निर्णय था,

- **स्पोर्ट्स तक चैनल से एक वार्ता में सुरेश रैना ने दावा किया कि एक भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मन से तैयार नहीं था।**
- **भारतीय टीम की अनिच्छा पूरे मैच के दौरान नज़र आई। जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात करना तो दूर औपचारिक “हैंड शेक” तक नहीं किया।**

जिससे सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाक टीम हैरान रह गई। अब यह भी सामने आया है कि भारतीय खिलाड़ी यह मैच खेलना ही नहीं चाहते थे। स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत में पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार, टीम का कोई भी खिलाड़ी एशिया कप खेलना नहीं चाहता था। एक तरह से वे मजबूर थे क्योंकि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट खेलने के लिए हमी भर दी थी।” रैना ने कहा, “मुझे दुख है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम से व्यक्तिगत राय ली जाती, तो वे मना कर देते।

किसी का मन नहीं था खेलने का।” पहलगाम आतंकी हमला, और उसके बाद शुरू हुए “ऑपरेशन सिंदूर” के चलते, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक अपूर्व

निचले स्तर पर पहुंच गए। दोनों देशों के बीच के तनाव को महेनज़र रखते हुये, यह भी सवाल उठने लगे थे कि इस साल एशिया कप होगा भी या नहीं। लेकिन अंततः बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट बोर्डों ने टूर्नामेंट कराये जाने पर सहमति जताई।

बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की मंजूरी दिए जाने के बाद, मैच के बहिष्कार की मांग भी उठी थी। सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। फिर भी भारतीय टीम ने शोर को नज़रअंदाज़ कर निर्धारित मैच खेलने का साहस दिखाया।

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मैदान पर जीत तो हासिल की ही, साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का संदेश भी दिया।

‘वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही’

नयी दिल्ली, 15 सितंबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि

- **संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। यह निर्णय लोकतंत्र के हित में है।**

श्रीधर अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है।

रिजिजू ने वक्फ संशोधन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने 2 2 2 आर.ए.एस. का तबादला कर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया

वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू बने मुख्यमंत्री भजनलाल के विशेषाधिकारी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) के 222 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और बीकानेर की 9 यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। साथ ही वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त मोहन दान रत्नू को मुख्यमंत्री भजन लाल का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अशोक कुमार योगी वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के विशिष्ट सहायक (एसए) के पद पर पोस्टिंग दी गई है। शुद्ध के लिए युद्ध और मिलावटी वस्तु के छापों से चर्चा में आए पंकज ओझा को खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त से हटाकर उन्हें गौ-पालन निदेशक के पद पर लगाया गया है। गौरतलब है कि पंकज ओझा ने फूड सेफ्टी विभाग में रहते बड़े स्तर पर छापेमारी की थी। इसके साथ ही नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त के साथ-साथ कई उपायुक्तों का तबादला किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में भी अतिरिक्त आयुक्त लगाते हुए कई नये उपायुक्तों को लगाया गया है। इस आदेश में संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों का भी तबादल किया है। जिसमें दिनेश कुमार जाँगिड को

- खाद्य सुरक्षा निदेशालय के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा को गौ-पालन निदेशक बनाया
- जयपुर ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार बने स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक
- हैरिटेज निगम के अतिरिक्त कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह यादव को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में लगाया
- जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त समेत कई नये उपायुक्त लगाए, ग्रेटर-हैरिटेज के उपायुक्त भी बदले

सहाकरिता विभाग से पशुपालन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी है। असलम शेर खान को जल संसाधन विभाग से अल्पसंख्यक मामला विभाग में संयुक्त सचिव, नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। आनंदीलाल वैष्णव को प्रसारण निगम के सचिव से गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर लगाया है। खान विभाग की संयुक्त सचिव आशु चौधरी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार पद पर लगाया गया है। राजपाल सिंह का सीईओ जिला परिषद कोटा से कोटा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पद पर तबादाल किया है।

कोटा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भावना शर्मा को अब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कुमार को अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान विभाग से महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में रजिस्ट्रार के पद पर लगाया है। राजस्व अपील अधिकारी सुरेश कुमार नवल को भरतपुर विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर लगाया गया है। अरविंद सारस्वत को खान विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार को स्थानीय निकाय विभाग में अतिरिक्त निदेशक बनाया

गया है। सीमा कुमार की जगह नरेंद्र कुमार बंसल को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से तबादला करके नगर निगम ग्रेटर में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हैरिटेज नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव का तबादला करके उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) के अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं हैरिटेज निगम के उपायुक्त युगान्तर शर्मा को अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर)जयपुर दक्षिण के पद पर लगाया है। प्रवीण कुमार द्वितीय, बिजेन्द्र सिंह और राजेन्द्र कुमार द्वितीय को हैरिटेज निगम में उपायुक्त, नीलम मीणा को ग्रेटर निगम में उपायुक्त के पद पर लगाया है। इसी तरह प्रतिभा पारीक को जयपुर विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त आयुक्त के रित्त पद पर लगाया है। रविन्द्र कुमार शर्मा, देविका तोमर, खेमाराम यादव, ओम प्रभा, अश्वदीप बराड, सीमा खेतान और पुखराज कासोटिया को जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त लगाया है। साथ ही महावीर सिंह द्वितीय को जेडीए में प्राधिकृत अधिकारी के पद पर जिम्मेदारी सौंपी है। आर.ए.एस. गोपाल सिंह को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड जयपुर में सचिव तथा डॉ. अशोक कुमार चतुर्थ

को उपसचिव के पद पर लगाया है। इसके अलावा घूसकांड में एसीबी में ट्रेप हो चुके पुष्कर मित्तल को झालावाड़ के मनोहर थाना में एसडीएम लगाया है। साथ ही एपीओ चल रही कश्मीर कौर रॉन को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के रजिस्ट्रार पद पर पोस्टिंग दी गई है। डॉ गुंजन सोनी को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर और ममता यादव को बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। सावन कुमार चायल को आयुर्वेद विभाग के उपसचिव से राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के रजिस्ट्रार पद पर लगाया है। झुंझुनू एसडीएम पंकज शर्मा का तबादला वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव को स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव, मत्स्य यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लोकाेश कुमार मीणा को राजस्थ उपनिदेशक के पद पर लगाया है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार हरतिमा को उपायुक्त सीएडी बीकानेर लगाया। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की रजिस्ट्रार सतिता को जिला आवकरी अधिकारी कोटा के पद पर लगाया है।

मुख्यमंत्री ने किया स्मारिका का विमोचन

जयपुर (कासं)। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए विकास कार्यों को समाहित कर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। इस स्मारिका में ग्रेटर निगम के वार्ड 84 में हुए बहुआयामी विकास कार्यों के साथ जन उपयोगी एवं अन्य जानकारी का भी समावेश किया गया है।

स्मारिका का प्रकाशन चेयरमैन पार्षद वार्ड 84 अभय पुरोहित द्वारा करवाया गया। जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर किया।

इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावत, लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता एवं पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा, अभय पुरोहित,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेटर निगम जयपुर के चेयरमैन अभय पुरोहित द्वारा सांगानेर के विकास कार्यों पर तैयार स्मारिका का विमोचन किया।

एसएफएस डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष किशन लाल छतानी, सीए ललित चांदगोटिया, श्री दिगंबर जैन अध्यक्ष डॉ. राजेश जैन काला समाज एसएफएस की निवर्तमान उपस्थित रहे।

उधारी चुकाने का झांसा दे महिला से दुष्कर्म

जयपुर। शिवदासपुरा थाना इलाके में एक परिचित ने महिला से रुपए उधार लिए और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी से नकदी लौटाना का दवाव बनाया तो आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी की धमकी से परेशान महिला ने थाने पहुँच घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयानों के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला का आरोप है कि परिचित होने के कारण दोनों में बातचीत बची और आरोपी का घर पर आना -जाना था। आरोपी ने वर्ष 2019 में महिला से उधार रुपए लिए थे। जिसके बाद वो दो -तीन सात पर नकदी लौटाने के लिए झांसे देता रहा। आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस-प्रशासन ही नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी : उपमुख्यमंत्री

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। आमजन को चाहिए कि वे बिना हेलमेट चलने वालों को टोकें और उन्हें सुरक्षा के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बात केवल चालान की नहीं, बल्कि जीवन बचाने की है। उपमुख्यमंत्री सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग (सुसमा) अभियान के समापन एवं अभियंता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आमजन की सक्रिय भागीदारी से ही सड़क सुरक्षा अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। उन्होंने अभियान में अभियंताओं, विशेष रूप से महिला अभियंताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह पहल ऐतिहासिक है। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री और उनकी टीम को उपमुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि यह अभियान जनता के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है।दिया कुमारी ने कहा कि यह अभियान आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सभी सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सोशल मीडिया

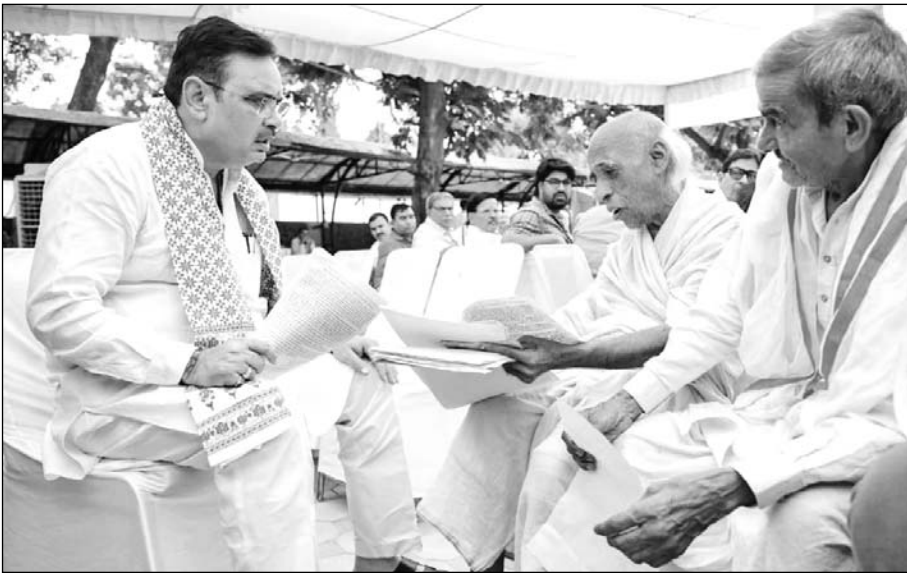


उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को एआईसीटीई केंद्र, झालाना, जयपुर में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया ।

अकाउंट्स पर इस अभियान के प्रमुख बिंदु साझा करें, ताकि यह व्यापक स्तर पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में दो दिन सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों का भीतिक निरीक्षण करें और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट कहा

कि अब केवल फाइलों पर हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा। यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो आगे कोई चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री ने बताया कि 9 अगस्त से 15 सितंबर तक चले इस अभियान में प्रदेश के 1097 संस्थानों के 4.18

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। इसके लिए प्रदेश में पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदशील प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और

दिव्यांगजनों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की विभागीय स्तर पर निगरानी की जाए और परिवादियों को समाधान की जानकारी समय-समय पर दी जाए। उन्होंने आपसी समझाइश से विवादों के समाधान को प्राथमिकता देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह

सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस जनसुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याएं उठाई गईं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।

‘पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और साजिश बेनकाब , हाईकोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया बरी’

एसओजी और एसीबी के दुरुपयोग से दर्ज हुए झूठे मुकदमों का पर्दाफाश , कांग्रेस की नीयत उजागर : मदन राठौड़

जयपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में भाजपा कार्यकर्ता भरत मालानी (ब्यावर) एवं अशोक सिंह (उदयपुर) को सहसम्मान बरी किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने इस निर्णय को “कांग्रेस की साजिश की हार और लोकतंत्र की जीत” बताया।

राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने एसओजी और एसीबी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए झूठे मुकदमे दर्ज करवाये थे। इन मामलों में दोनों निर्दोष भाजपा समर्थकों को लगभग एक माह

तक जेल में रहना पड़ा। आज एसीबी द्वारा प्रस्तुत एफआर के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा दोनों को बरी किया जाना यह सिद्ध करता है कि कांग्रेस ने अपने आंतरिक सत्ता संघर्ष को छुपाने के लिए विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि “कांग्रेस ने उस समय अपने ही भीतर चल रही खींचतान और सचिन पायलट को कमजोर करने के उद्देश्य से भाजपा से जुड़े लोगों को फंसाने की साजिश रची।” उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा विधायकों को होटल में रखकर सकार चलाना लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एक गंभीर खिलवाड़ था, और उसी की आड़ में

रक्तदान अमृत महोत्सवमें 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 75 देशों में 7 500 से अधिक रक्तदान शिविर लगाएंगे



ग्रेटर नगर निगम जयपुर के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की ओर से रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन किया जायेगा। भारत सहित 75 देशों में 7 500 से अधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन बुधवार को करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा।

अभियान का लक्ष्य 3 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर सेवा का अद्वितीय उद्घारण प्रस्तुत करना है। देशभर में 4 हजार रक्त बैंक, 5 हजार डॉक्टर, 25 हजार लैब टेक्नीशियन और 1 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़कर सेवा में भाग ले रहे हैं। यह जानकारी मंगलवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावत, लक्ष्मी इंडिया फाइनैस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद, जयपुर परिषद अध्यक्ष रवि छाजेड़, राष्ट्रीय एमबीडीटी टीम एवं जयपुर कैप के संयोजक सुरेंद्र नाहटा, जयपुर संभा के प्रभारी करण नाहटा, जयपुर परिषद् के मंत्री शरद बरडिया ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में दी।

उप महापौर पुनीत कर्णावत ने

बताया कि यह मुहिम वक्त की जरूरत है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, रेलवे पुलिस फ़ोर्स तथा एन.एस.एस सहित अनेक संस्थाएं इस अभियान का समर्थन कर रही हैं।

केन्द्रीय नेताओं जैसे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, पिपुष गोयल आदि का समर्थन प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव और खेल मंत्री मनसुख माण्डविया ने पूरे देश में अभियान का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं।

लक्ष्मी इंडिया फाइनैस के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक बैद ने बताया कि पिछले वर्षों में परिषद् ने 1 0 लाख से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्टिय सम्मान अर्जित किए हैं। वर्ष 2022 में 6 149 शिविरों के माध्यम से 2.5 लाख यूनिट रक्त संग्रह कर ब्रिटिश संसद में रिकॉर्ड दर्ज कराया गया था। जयपुर शहर में 126 रक्तदान स्थलों पर कैप लगाए जाएंगे।

सीएसटी के हथ्ये चढ़ा मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स तस्कर

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच एसओपी) ने मानसरोवर थाना इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 87.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त किए है। पुलिस ने जब्त

- 21 लाख रु. की 87.70 ग्राम ड्रग जब्त
- जोधपुर से खरीदकर जयपुर में सप्लाई करता था आरोपी

एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपये आंकी है। फिलहाल आरोपी तस्कर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजित सिंह ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई करने वाले तस्कर कमलेश कुमार (21) निवासी चितलवाना जिला जालौर हाल मानसरोवर जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस आरोपी के पास से 87.70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी भी जब्त किए गए है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित अवैध मादक पदार्थ एमडी प्रेम बागडी निवासी जोधपुर से खरीदना बताया है।

जो अपनी महिला मित्र के सहयोग से जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर सप्लाई करता है। पुलिस आरोपित तस्कर से अवैध मादक पदार्थ एमडी की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है।



